S-OM 10(1)

(18)

मिसिल सं.जे.11011/4/2015-प्रशा.
भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
प्रशासन अनुभाग
*****

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, 15 मार्च, 2016

ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को ओवर टाईम भत्ता/प्रतिपूरक अवकाश के संबंध में।

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक सं. 15011/2/E.II(बी)/76, दिनांक 11 अगस्त,1976 के पत्र के अनुसार मंत्रालय के कर्मचारियों को निम्नलिखित नियमानुसार ओवर टाईम भत्ता / प्रतिपूरक अवकाश प्रदान किया जाएगा :

अ. जहां विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त समय / दिवस पर काम करने के लिए आवश्यक कार्य निष्पादन हेतु ओवर टाईम की जरूरत पडती है। ऐसी अवस्था में जिस भी कर्मचारी को शनिवार, रविवार एवं अन्य सरकारी अवकाश वाले दिन कार्यालय में बुलाया जाता है, उसे उस दिन के बदले ओवर टाईम भत्ता के रूप में नगद भुगतान भी दिया जा सकता है। अगर कर्मचारी ओवर टाईम के बदले प्रतिपूरक अवकाश लेना चाहता है, इस अवस्था में प्राधिकृत अधिकारी चाहे तो उसे प्रतिपूरक अवकाश भी प्रदान कर सकते है परन्तु ऐसा केवल आसाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है।

ब. आमतौर पर प्रतिपूरक अवकाश नियमानुसार एक माह के अन्दर ही लेना होगा। प्रतिपूरक अवकाश की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक सं. 15011/2/E.II(बी)/76, दिनांक 11 अगस्त,1976 के अनुसार एक बार में **दो दिन से ज्यादा के प्रतिपूरक अवकाश को स्वीकृत** नहीं किया जा सकता है।

15/3/2016

(नरेंद्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं.-2373 8126

प्रति सूचनार्थ:

1. जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी अधिकारी / कर्मचारी ।
2.. तकनीकी निदेशक,एनआईसी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय। मंत्रालय के इन्ट्रानेट पर इसे अपलोड करवाएं ।

15/3/16

जल
जल बचत · जल संचय